

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक २७९० /२-६, दिनांक, गोरखपुर, मई २० /२०२४

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय— जनपद देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-१ कि०मी० १५३-१५४ के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित ०.०७५०२८ हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ— मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-२११२/११-सी-एफ०पी०/यू०पी/अन्य/१६१३४/२०१५ दिनांक २२.०२.२०२४ व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-२४६४/२-६, दिनांक २०.०४.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- २४६४/२-६, दिनांक २०.०४.२०२४ द्वारा संशोधित प्रस्ताव का अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
A. B. Sen

संख्या— अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2464/2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 20 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2112/11-सी-एफ0पी0/ यू0पी0/अन्य/ 16134 / 2015 दिनांक 22.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक पेट्रोल पम्प के प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	ऑन लाईन पार्ट-11 के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है। जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-2 में फीड करे तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड करें।	ऑन लाईन पार्ट-11 के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है। जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-2 में फीड कर दिया गया है तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

निदेश
301
206
15/04/24
मुख्य वन संरक्षक
20/04/2024

भवदीय

R. J. Jha
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

योजना/स्कीम का स्थान	सोनौली-बलिया मार्ग एस0एव0-10 कि0मी0 153-154 के नध्य एस्सार आर्यल लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या-547 मी0 ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में पेट्रोल पम्प की स्थापना में एप्रोव मार्ग हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन हेतु गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।
I-राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0 राज्य
II-जिला	देवरिया
III-वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
IV-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.075028 हे0
V-वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI-प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और वसिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	-
VII-हरियाली का घनत्व	0.4
VIII-भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	लागू नहीं
IX-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00
X-क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भा है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)।	रिक्त है।
XI-क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राधिगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो सत्सम्बन्धित ब्योरा दें ?	नहीं
7-क्या कोई सुरक्षित पुराततीय/पारम्परिक संतल/स्वा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो।	नहीं
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	संलग्न है।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या-प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	लागू नहीं
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर//अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास को वन सीमाओं को दर्शाता मैप	रिक्त।
(III) सौंपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि	रिक्त।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 165770.00
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	रिक्त।
11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालन-7(XI, XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	सा0वा0प्रभाग, देवरिया, जनपद-देवरिया मी0 नं0 7839435132
(I) जिले का नैसर्गिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग कि0मी0 या 2527200.00 हे0
(II) जिले का वन क्षेत्र	264.345 हे0
(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	23/160.1626 हे0
(IV) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(ख) वनेत्तर भूमि पर	-
(V) तक प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	रिक्त
(क) वन भूमि पर	56.198 हे0
(ख) वनेत्तर भूमि पर	0.16
13-प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रस्तित।

दिनांक - 20/04/2024

नाम - (जगदीश आर)

स्थान - देवरिया

प्रधानीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया